

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-148/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० मनीष कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा, लखीसराय का दिनांक-11.06.2016 से 24.07.2019 तक को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है:-

i.	दिनांक-11.06.2016 से 30.06.2019 तक	- कुल-1115 दिन अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
ii.	दिनांक-01.07.2019 से 24.07.2019 तक	- कुल-24 दिन पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में। (सिविल सर्जन कार्यालय कैमूर)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

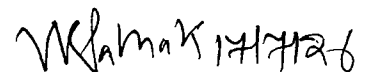
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-148/2024- 1630/2 पटना, दिनांक 18/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा, लखीसराय/जिला कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/डा० मनीष कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूर्यगढ़ा, लखीसराय/प्रशाखा-3, 9, 18A को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

६